UPAG010037672020

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vivek Sangal), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06516**

सत्र परीक्षण संख्या–374/2020

राज्य ———————— प्रति ———— रितिका आदि

धारा–306 भा0दं0सं0
थाना–लोहामण्डी,आगरा

दिनांक 05.10.2024

पत्रावली आज अभियुक्ता रितिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 169ख पर आदेशार्थ पेश हुई। उक्त प्रार्थनापत्र पर विगत तिथि पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 169ख अभियुक्ता रितिका की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दिनांक 31.03.201 को डी0डब्लू0–1 सुनील धूमस द्वारा एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें मृतक विशेष के ताऊ सीताराम मेढ़तवाल व सुनील धूमस के मध्य दोनों पक्षों के तलाक से सम्बन्धित वार्ता की रिकॉर्डिंग प्राप्त की गयी थी, उक्त काम्पैक्ट डिस्क की फर्द तैयार कर विवेचना में सम्मिलित की गयी है, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा संख्या–17 दिनांकित 31.03.2018 में अंकित है। न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करने हेतु उक्त काम्पैक्ट डिस्क को न्यायालय में चलाया जाना आवश्यक है। अतएव पत्रावली पर उपलब्ध वस्तु प्रदर्श ख–1 कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से आपत्ति 170ख प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कहा गया कि अभियुक्ता रितिका के ताऊ सुनील कुमार धूमस एवं सीताराम मेढ़तवाल के मध्य कथित वार्ता होना कहा गया है, उसमें न तो सुनील कुमार धूमस अभियुक्त है, न ही सीताराम मेढ़तवाल प्रकरण का वादी है। दोनों पक्षकारों के मध्य वार्ता अभियुक्ता रितिका एवं मृतक विशेष कुमार द्वारा अभियुक्तगण के आत्महत्या के दुष्प्रेरण के तथ्यों से कोई संबंध नहीं रखती है। वार्ता किस मोबाइल नम्बर से किस मोबाइल नम्बर पर की गयी है, इसका कोई उल्लेख सम्बन्धित प्रार्थनापत्र में नहीं है, अतएव इस कॉम्पैक्ट डिस्क की ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम की

धारा 65ब के अनुसार नहीं है। प्रकरण में कॉम्पैक्ट डिस्क की वार्ता को हिन्दी में रूपांतरित करके अभियुक्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.02.2021 को छह पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है, पुनः द्वितीय बार श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट द्वारा दिनांक 12.06.2024 को कुल 12 पृष्ठ में दाखिल किया गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क के हिन्दी रूपांतरण भिन्न भिन्न हैं, अतएव यह कॉम्पैक्ट डिस्क धारा 65ख साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ग्राह्य नहीं है। इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं ऑडियो रिकॉर्डिग के साक्ष्य किसी के विरूद्ध तभी विचार में लिये जा सकते हैं, जब यह सुनिश्चित रूप से सिद्ध कर दिया जाये कि यह बिना किसी हेराफेरी या एडिटिंग के तैयार की गयी है। कथित कॉम्पैक्ट डिस्क दो मोबाइल के मध्य वार्ता की रिकॉर्डिग से तैयार की गयी है, इसलिए यह प्राथमिक साक्ष्य नहीं हो सकती एवं कॉम्पैक्ट डिस्क को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में धारा 64 साक्ष्य अधिनियत के अनुसार साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतएव प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्य के अनुसार विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा प्राप्त की गयी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें अभियुक्ता के ताऊ सुनील धूमस एवं सीताराम मेढ़तवाल के मध मोबाइल फोन पर हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग संकलित किया जाना कहा गया है, के संबंध में स्वयं अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 सुनील धूमस को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर सुनील धूमस द्वारा प्रार्थनापत्र 146ब दिनांकित 09.07.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुनील कुमार द्वारा धारा– 65ब साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र के रूप में कहा गया है कि *''कथित घटना से दो दिन पूर्व दिनांक 05.07.2017 की रात को मृतक विशेष के ताऊजी सीताराम मेढ़तवाल का मोबाइल कॉल उसके मोबाइल पर आया, उक्त वार्ता की रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल फोन में हो गयी, जिसकी सी0डी0 उसने घर पर लगे कंप्यूटर पर तैयार कराई थी और विवेचना के दौरान विवेचक को उपलब्ध कराई थी, जो विवेचना में शामिल हुई है। उक्त सी0डी0 में रिकॉर्ड वार्ता को उसने कंप्यूटर से टाइप कराया है, वह वार्ता उसी रूप में टाइप कराई है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।''*

तत्सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0–1 सुनील कुमार धूमस द्वारा अपने बयान में प्रमाणपत्र को प्रदर्श ख–2, वार्तालाप की रिकॉर्डिंग की टाइपशुदा प्रति को प्रदर्श ख–3 के रूप में सिद्ध किया गया है। इस साक्षी द्वारा साक्ष्य में कहा गया है कि उसके एवं सीताराम मेढ़तवाल के बीच फोन मोबाइल पर हुई वार्तालाप को कंप्यूटर से टाइप कराकर श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट द्वारा दाखिल किया गया है।

इस प्रकार इस स्तर पर यह प्रकट होता है कि सुनील कुमार धूमस एवं सीताराम मेढ़तवाल के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता की रिकॉर्डिग की कॉम्पैक्ट डिस्क, अभियुक्त पक्ष की ओर से स्वयं सुनील कुमार धूमस द्वारा तैयार की गयी एवं विवेचक को उपलब्ध कराई गयी। इसके अतिरिक्त उक्त कॉम्पैक्ट डिस्क में रिकॉर्डिंग की वार्तालाप टाइप कर अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट द्वारा पत्रावली पर दाखिल की गयी है। इन परिस्थतियों में अब पुनः अभियुक्ता रितिका के प्रार्थनापत्र के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध तथाकथित कांपैक्ट डिस्क को चलाये जाने का कोई औचित्य एवं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि कांपैक्ट डिस्क में हुई तथाकथित वार्तालाप को लिखित रूप में स्वयं अभियुक्त पक्ष की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है। तदैव अभियुक्ता रितिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 169ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता रितिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 169ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 19.10.2024 को पेश की जाये।

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक : 05.10.2024